उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-66/2020/933/92-2-20-97एम/2019
लखनऊ :: दिनांक:: 27 मई 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-रामपुर में कार्यरत रहने के दौरान वर्ष 2016-17 में प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना के पैकेज संख्या-यूपी-5995 के अंतर्गत निर्मित सम्पर्क मार्ग टी0-22 एम0टी0डी0 रोड (टी-9) से शेकमपुर क्रासिंग का स्टेट क्वालिटी मॉनीटर (एस0क्यू0एम0) के निरीक्षण दि0 13-12-2017 व 26-11-2019 में परिलक्षित अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-23/2020/245/92-2-20-97एम/2019 दिनांक 22-01-2020 द्वारा श्री एम0के0 गर्ग, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-रामपुर को आरोप पत्र देकर उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता(प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-सी-166/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच-रामपुर/पै0सं0-5995/2019-20 दिनांक 06-05-2020 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त कोई आरोप स्थापित न पाये जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-01-2020 द्वारा श्री एम0के0 गर्ग अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-रामपुर के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-66/2020/933(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- श्री एम0के0 गर्ग, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-रामपुर द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in